9/5/26	पत्रावली ... साथ आयदा दिनांक 20/5/...
20/5/26	पत्रावली पेश हुई वरुलाय उप०/ प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षकार अधिवक्ता की अंतिम बहस सुनी गई। बहस मुताबिक प्रार्थी अधिवक्ता " ग्राम बिनावटिया पटवार क्षेत्र डिगाडी के खसरा संख्या 25 रकबा 11 बीघा 9 बिस्वा का प्रार्थी अभिलेखित खातेदार है प्रार्थी संख्या 1 नगर निगम जोधपुर द्वारा प्रार्थी की खातेदारी में गंदे पानी की निकासी हेतु नाले का निर्माण करवाया जा रहा है एवं इसके कारण प्रार्थी का अपने खातेदारी में आवागमन में असुविधा हो रही है अतः अप्रार्थी संख्या 1 को पाबंद किया जाए कि प्रार्थी के आवागमन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे वही अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि जोधपुर शहर के गंदे पानी को शहर से बाहर निकालने के लिए पूर्व में कई वर्षों से प्राकृतिक रूप से जो नाला बह रहा है उसमें प्रार्थी मिट्टी व पत्थर डालकर उसके लेवल को ऊपर उठाकर अनाधिकृत रूप से गन्दे पानी का उपयोग कृषि कार्य में कर

ग० पृ० नी

रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा कोई नया नाले का निर्माण नहीं किया जाकर पूर्व में ही कई वर्षों से प्रचलित नाले को पक्का कराया जा रहा है जिसको रुकवाने का प्रार्थी का कोई अधिकार नहीं है।

हमने पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। प्रकरण के गुणावगुण पर किसी प्रकार की टिप्पणी किए बिना प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध अप्रार्थी संख्या 1 इस आशय की जारी की जाती है कि प्रार्थी को उसके खातेदारी खेत में आने जाने हेतु किसी प्रकार की रुकावट या अवरोध पैदा नहीं करें अप्रार्थी संख्या 1 नाले के निर्माण, सफाई एवं प्राकृतिक बहाव को बनाए रखने हेतु सभी कार्यवाही हेतु स्वतंत्र रहेंगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल पत्रावली के साथ नत्थी हो।

(हस्ताक्षर)